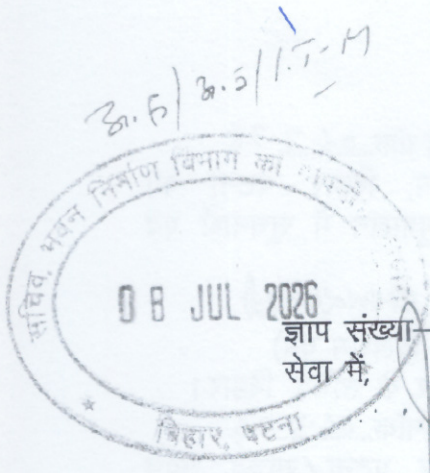




बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-३१-१४/२०२५/५२३६/जे०, पटना, दिनांक ०६.०७.२६  
सेवा में,

विषय:- महालेखाकार, बिहार,  
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।  
केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रजौली (नवादा)  
में १० कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के  
निर्माण कार्य हेतु रु०-३८,३८,३१,०००/- (अड़तीस करोड़ अड़तीस लाख इकतीस  
हजार रुपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रजौली (नवादा) में १० कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु०-३८,३८,३१,०००/- (अड़तीस करोड़ अड़तीस लाख इकतीस हजार रुपये) मात्र के प्राक्कलन में मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें ६०% केन्द्रांश तथा ४०% राज्यांश का प्रावधान है।
- केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि का विकलन ६०:४० में मुख्य शीर्ष-४०५९-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-०५१-उपशीर्ष-०२२०-ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधा का विकास में स्वीकृत उपबंध की राशि से होगा। इसका विपत्र कोड-०३-४०५९८००५१०२२० है।
- राशि की निकासी केन्द्र प्रायोजित योजना Infrastructure Facilities for Judiciary (९१७४) के लिए SNA SPARSH के तहत RBI, Patna में खोले गये आहरण खाता संख्या-०१५८५५०११४५ (IFSC कोड-RBIS0CSP01) के माध्यम से की जायेगी।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, नवादा से की जायेगी।
- प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।  
(२९/टि०, दिनांक-०८.०६.२०२६ सं०सं०-जी०/यो०-३१-१४/२०२५)
- प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।  
(३३/टि०, दिनांक-२४.०६.२०२६ सं०सं०-जी०/यो०-३१-१४/२०२५)
- प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।  
(३५/टि०, दिनांक-०२.०७.२०२६ सं०सं०-जी०/यो०-३१-१४/२०२५)
- स्वीकृत्यादेश में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*(बलराम दूबे)*

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-३१-१४/२०२५/५२३६/जे०, पटना, दिनांक ०६.०७.२६

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*(बलराम दूबे)*

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

कृ०पृ०३०